

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक: प.17(1)संसद/2022

जयपुर, दिनांक: 18/08/25

परिपत्र

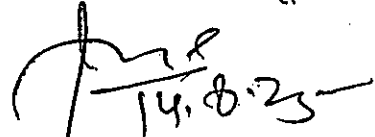
विषय :- विधान सभा सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के संबंध में।

16वीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र की बैठक सोमवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ हो रही है। राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय समितियों एवं अन्य समितियों में सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। विधान सभा में सत्र के दौरान जब माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं, तब अधिकारीगण विभिन्न बैठकें आयोजित करते हैं जिसमें माननीय सदस्यों की भागीदारी आवश्यक होती है। उक्त बैठकों में भाग लेने से माननीय सदस्य वंचित रह जाते हैं और बिना उनकी सहभागिता के निर्णय ले लिए जाते हैं।

अतः माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर, पंचायती राज तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से विशेष रूप से निवेदन है कि विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने से दो दिवस पूर्व एवं सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के दो दिवस पश्चात् तक (शनिवार एवं रविवार सहित) की अवधि एवं सत्र काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय एवं अन्य समितियों की बैठकें आयोजित नहीं की जाए, जिनमें माननीय सदस्यों की भागीदारी आवश्यक होती है। विशेष परिस्थिति वश बैठक का आयोजन करना अतिआवश्यक हो तो माननीय सदस्यों की पूर्व सहमति प्राप्त करें।

माननीय सदस्य की बिना सहमति के बैठक बुलाई जावेगी तो वह माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन माना जावेगा तथा विधानसभा की विशेषाधिकार समिति उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकती है।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं परिपत्र की प्राप्ति की सूचना भी इस विभाग को भिजवाये जाने का श्रम करावें।


(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव,
संसदीय कार्य विभाग

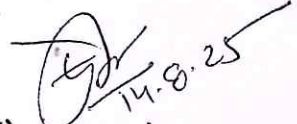
समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)/समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि जिनमें मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया संबंधित विश्वविद्यालय एवं अनुदानित विश्वविद्यालय में उपरोक्त परिपत्र की पालना के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का श्रम करें।
7. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के सम्बन्ध में समस्त विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/नगर परिषद्/नगरपालिकाओं को निर्देश जारी करें।
8. शासन सचिव, कृषि विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृषि उपज मंडी समितियों, जिनमें मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
9. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जिन समितियों में मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करावें।
10. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर को परिपत्र के पालन के संबंध में समस्त पंचायत समितियों एवं जिला परिषद को निर्देश जारी करने का श्रम करें।
11. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

12. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/खण्ड-पीठ, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।


14.8.25
(प्रेमनारायण)

वरिष्ठ शासन उप सचिव